"खाता दुरूस्ती आवेदन-पत्र"
(राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)

सेवा में ,
श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
हमीरगढ़
विषयः- राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के संबंध में।

महोदय ,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम तस्वपुरा की जमाबन्दी संवत् 2076-2079 से सम्वत् 2076 के खाता संख्या 692, 691 में मेरा नाम उदी पुत्री भैरूलाल जाति गाडरी लोहार दर्ज है जबकि ... में चम्पा बाई पुत्री भैरूलाल जाति गाडरी दर्ज जाति ... भैरूलाल से जाना जाता है अतः राजस्व रिकार्ड में उदी की जगह चम्पा जाति गाडरी दर्ज करावे की

अतः उक्त दुरूस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें। कृपा करें

प्रार्थी

दिनांक 19/12/2024

(..........................) नि० चम्पाबाई

रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम तस्वपुरा के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 से के खाता संख्या 692, 691 में प्रार्थी का नाम उदी पुत्री भैरूलाल जाति गाडरी दर्ज है। जबकि मुताबिक सलंग्न दस्तावेज व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम चम्पा बाई उर्फ उदी है जो संशोधित किया जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में पेश है।

19/12/24
चन्द्र प्रकाश
पटवारी......पटवारी
पटवार मण्डल. तस्वपुरा
तहसील-हमीरगढ़

भू.अ.नि. 19/12/24

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा0भू0रा0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्रइ प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरूस्त करवाने हेतु निवेदन किया है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी तस्वपुरा व भू.अ.नि. हमीरगढ़ एवं प्रार्थी द्वारा सलंग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम तस्वपुरा की जमायुन्दी सम्वत् 2076 से 2079 की खाता संख्या 691, 692 में प्रार्थी का नाम उदी के बजाय चम्पा बाई किये जाने हेतु अभिशंषा की जाती है।

तहसीलदार / नायब तहसीलदार
हमीरगढ़

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार हमीरगढ़ ग्राम तस्वपुरा जमायन्दी संवत् 2076-2079 खाता संख्या 691, 692 में दर्ज प्रार्थी का नाम उदी के स्थान पर चम्पा बाई उर्फ उदी संशोधन के आदेश दिये जाते है।

प्रतिलिपि :- T.D.R. हमीरगढ़

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़, जिला-भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner